

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

## प्रेस विज्ञप्ति

Posted On: 31 MAR 2017 6:25PM by PIB Delhi

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा भैसर्स के॰ बी॰ एम॰ फूड्स प्रा॰ लि॰,बी-19,लॉरेंस रोड,इंडस्ट्रियल एरिया,दिल्ली-35 को एगमार्क के अंतर्गत पिसे मसालों का श्रेणीकरण एवं चिन्हाकन करने हेतु प्राधिकार प्रमाण पत्र सी.ए. न. AL-18724 जारी किया गया था | अनियमिताओं के कारण दिनांक 28/09/2016 को फ़र्म का प्राधिकार प्रमाण पत्र निरस्त किया गया था तथा फ़र्म को निर्देश दिये गए थे कि भविष्य में एगमार्क के अंतर्गत पिसे मसालों का श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन न करे तथा मूल सी.ए पुस्तिका व शेष बचे एगमार्क रेपलिका आदि को कार्यालय में जमा करा दे परंतु फ़र्म ने मूल सी.ए पुस्तिका व शेष बचे एगमार्क रेपलिका आदि इस कार्यालय को जमा नहीं कराये |

विभाग को गुप्त सूचना मिली कि यह फ़र्म अब भी एगमार्क के अंतर्गत पिसे मसाले का श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन कर रही है | मौके पर विभाग की टीम ने दिनांक 30/03/2017 को औचक निरीक्षण किया तथा देखा कि फ़र्म वास्तव में एगमार्क के अंतर्गत पिसे मसालों की पैकिंग कर रही थी | टीम ने उसकी फैक्ट्री सीज कर दी तथा अग्रिम कार्यवाही चल रही है |

टीम मे प्रधान कार्यालय,फ़रीदाबाद से श्री बी.के तिवारी,उप कृषि विपणन सलाहकार, क्षेत्रीय कार्यालय,नई दिल्ली से डा. आर.आर करपटे, उप कृषि विपणन सलाहकार, श्री शिवनंदन, विरष्ठ विपणन अधिकारी, श्रीमती एस.बेहरा, विरष्ठ विपणन अधिकारी, श्री अशोक यादव , विपणन अधिकारी थे | सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि बाजार मे एगमार्क के॰ बी॰ एम॰ गाय छाप पिसे मसाले पाये जाते है तो निकटतम पुलिस स्टेशन या उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,डब्लू-06,ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,फेज-II,नई दिल्ली को अवगत कराये ताकि अग्रेम कार्यवाही हो सके |

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।

दिनांक, ३१ मार्च, २०१७

SS

(Release ID: 1486361) Visitor Counter: 9









in